रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2003/कार्तिक 21, 1925
No. 554] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2003/KARTIKA 21, 1925

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2003

सा.का.नि. 884(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण(पीठासीन अधिकारी के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया) नियम, 2003 का प्रारूप, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 644(अ), तारीख 8 अगस्त, 2003 के साथ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 8 अगस्त, 2003 में प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 8 अगस्त, 2003 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और ऐसे प्रारूप नियमों के संबंध में उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजामार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 50 की उपधारा (2) कें खंड (घ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण(पीठासीन अधिकारी के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया) नियम, 2003 है ।

(2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसको अधिनियम प्रवृत्त होता है ।

(3) ये नियम अधिनियम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण के प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को लागू होंगे ।

2 परिभाषाएं,— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) अभिप्रेत है ;

(ख) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "पीठासीन अधिकारी" से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमश : उनके अधिनियम में हैं ।

IndiaCode

3. शिकायतों के अन्वेषण के लिए समिति - (1) यदि केन्द्रीय सरकार को कोई लिखित परिवाद प्राप्त होता है जिसमें, किसी पीठासीन अधिकारी के संबंध में कदाचार या अपने पद के कृत्यों का निष्पादन करने में असमर्थता के निश्चित आरोप अभिकथित किए गए हों तो वह ऐसे परिवाद की प्रारम्भिक छानबीन करेगी ।

(2) यदि प्रारम्भिक छानबीन के पश्चात् अध्यक्ष अभिकथन का अन्वेषण करना आवश्यक समझता है तो, वह उस शिकायत को, उपलब्ध समर्थक सामग्री सहित शिकायत में किए गए अभिकथनों के आरोपों का अन्वेषण करने के लिए समिति के समक्ष रखेगी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी होंगे : -

(i) सचिव (समन्वय और लोक शिकायत), मंत्रिमंडल सचिवालय - अध्यक्ष

(ii) सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय - सदस्य

(iii) सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य

(3) समिति अन्वेषण के लिए प्रक्रिया और पद्धति स्वंय तैयार करेगी जिसमें परिवादी का साक्ष्य अभिलिखित करना और इन नियमों के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाने वाली जांच से सुसंगत सामग्री का संग्रहण भी सम्मिलित हो सकेगा ।

(4) समिति अपने निष्कर्ष राष्ट्रपति को, यथासंभव शीघ्र, राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी ।

4. जांच करने के लिए न्यायाधीश - (1) यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि किसी पीठासीन अधिकारी पर कदाचार या असमर्थता के अभ्यारोपण के सत्य की जांच करने के लिए

IndiaCode

युक्तियुक्त आधार है तो वे, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को एक निर्देश करेंगे जिसमें यह अनुरोध होगा कि जांच करने के लिए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को नामनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा जांच करने के प्रयोजन के लिए नामनिर्देशित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (जिसे इसमें इसके पश्चात न्यायाधीश कहा गया है) को नियुक्त करेंगे ।

(3) उपनियम (2) के अधीन न्यायाधीश की नियुक्ति की सूचना संबंधित पीठासीन अधिकारी को दी जाएगी ।

(4) राष्ट्रपति, न्यायाधीश को निम्नलिखित की एक प्रति भेजेंगे -

(क) संबंधित पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध आरोप की मदें और अभ्यारोपण का कथन ;

(ख) साक्षियों का कथन, यदि कोई हो ; और

(ग) जांच से सुसंगत तात्विक दस्तावेज ।

(5) न्यायाधीश, ऐसे समय या और समय के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जांच पूरी करेगा ।

(6) संबंधित पीठासीन अधिकारी को, ऐसे समय के भीतर जो न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रतिरक्षा का एक लिखित कथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

(7) जहां यह अभिकथित है कि संबंधित पीठासीन अधिकारी किसी शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण अपने पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है और उस अभिकथन से इंकार किया जाता है, तो न्यायाधीश, ऐसे चिकित्सा बोर्ड द्वारा जो राष्ट्रपति द्वारा

IndiaCode

इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाए, पीठासीन अधिकारी की चिकित्सीय परीक्षा का प्रबंध करेगा और संबंधित पीठासीन अधिकारी, न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर ऐसी चिकित्सीय परीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा ।

(8) चिकित्सा बोर्ड पीठासीन अधिकारी की ऐसी चिकित्सीय परीक्षा करेगा जो आवश्यक समझी जाए, और न्यायाधीश को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें यह कथित होगा कि क्या असमर्थता ऐसी है जिससे पीठासीन अधिकारी अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है ।

(9) यदि पीठासीन अधिकारी ऐसी चिकित्सीय परीक्षा करवाने से इंकार करता है जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा आवश्यक समझी जाए तो, बोर्ड न्यायाधीश को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें यह कथित होगा कि पीठासीन अधिकारी ने कौन सी परीक्षा करवाने से इंकार किया है, और न्यायाधीश, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह उपधारणा बनाएगा कि पीठासीन अधिकारी ऐसी शारीरिक या मानसिक असमर्थता से पीड़ित है जो परिवाद में अभिकथित है ।

(10) न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी के लिखित कथन और चिकित्सीय रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् उपनियम (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट आरोपों में संशोधन कर सकेगा और ऐसी दशा में, पीठासीन अधिकारी को प्रतिरक्षा का एक नया लिखित कथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

(11) केन्द्रीय सरकार पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध मामला प्रस्तुत करने के लिए उस सरकार का कोई अधिकारी या एक अधिवक्ता नियुक्त करेगी ।

(12) जहां केन्द्रीय सरकार ने अपना मामला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई अधिवक्ता नियुक्त किया हो, वहां संबंधित पीठासीन अधिकारी को भी उसके द्वारा चयनित किसी अधिवक्ता द्वारा उसका मामला प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

5. विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराना तथा दस्तावेज पेश कराना) अधिनियम, 1972 का इन नियमों के अधीन जांचो को लागू होना - विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराना तथा दस्तावेज पेश कराना) अधिनियम, 1972 (1972 का 18) के उपबंध इन नियमों के अधीन की गई जांचो को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे विभागीय जांचों को लागू होते हैं ।

6. न्यायाधीश की शक्तियां - न्यायाधीश, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा अधिकथित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगा किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों से मार्गदर्शित होगा और उसे अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी जिसके अन्तर्गत जांच के स्थान और समय का नियत करना भी है ।

7. पीठासीन अधिकारी का निलम्बन - नियम 4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और उक्त नियम के अनुसार किए गए किसी कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रपति, आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अधिकरण के उस पीठासीन अधिकारी को जिसके विरुद्ध कोई शिकायत अन्वेषण या जांच के अधीन है, निलम्बित कर सकेंगे ।

8. निर्वाह भत्ता - किसी निलम्बनाधीन पीठासीन अधिकारी को निर्वाह भत्ते का संदाय, भारत सरकार के समतुल्य वेतन लेने वाले किसी अधिकारी को तत्समय लागू नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

9. जांच रिपोर्ट - अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात्, न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें आरोपों की प्रत्येक मद पर उसके निष्कर्ष और उनके लिए कारण पृथक रूप से कथित होंगे और संपूर्ण मामले पर ऐसे संप्रेक्षण होंगे, जो वह उचित समझे ।

[फा. सं. एनएच-11014/9/2003-पी एण्ड एम]

यू.एस. तिवारी, उप सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2003

G.S.R. 884(E).—Whereas the draft of National Highways Tribunal (Procedure for investigation of misbehaviour or incapacity of Presiding Officer) Rules, 2003, was published as required by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 50 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 8th August, 2003 with the notification of Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 644 (E), dated the 8th August, 2003, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of thirty days from the date on which the copies of said notification, as published in Gazette of India, are made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 8th August, 2003;

And, whereas no objections or suggestions had been received from any person with respect to such draft rules within the time period specified in the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 50 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title, commencement and application. – (1) These rules may be called the National Highways Tribunal (Procedure for investigation of misbehavior or incapacity of Presiding Officer) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date on which the Act comes into force.

(3) These rules shall be applicable to every Presiding Officer of the National Highways Tribunal established under the Act.

2. Definitions - In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003);

(b) "Tribunal" means the National Highways Tribunal established under sub-section (1) of section 5 of the Act;

(c) "Presiding Officer" means a person appointed as Presiding Officer of the Tribunal under sub-section (1) of section 6 of the Act;

(d) words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Committee for investigation of complaints. – (1) If a written complaint, alleging any definite charges of misbehaviour or incapacity to perform the functions of the office in respect of a Presiding Officer, is received by the Central Government, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) If, on preliminary scrutiny, the President considers it necessary to investigate into the allegation, it shall place the complaint together with supporting material as may be available, before a Committee consisting of the following persons to investigate the charges of allegations made in the complaint :-

(i)	Secretary (Coordination and Public Grievances), Cabinet Secretariat.	-	Chairman
(ii)	Secretary, Ministry of Road Transport and Highways.	-	Member
(iii)	Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice	-	Member

(3) The Committee shall devise its own procedure and method of investigation which may include recording of evidence of the complainant and collection of material relevant to the inquiry which may be conducted by a Judge of the High Court under these rules.

(4) The Committee shall submit its findings to the President as early as possible within a period that may be specified by the President in this behalf.

4. Judge to conduct inquiry – (1) If the President is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any imputation of misbehaviour or incapacity of a Presiding Officer, he shall make a reference to the Chief Justice of India requesting him to nominate a Judge of a High Court to conduct the inquiry.

(2) The President shall, by order, appoint the Judge of a High Court nominated by the Chief Justice of India (hereinafter in these rules referred to as Judge) for the purpose of conducting the inquiry.

(3) Notice of appointment of a Judge under sub-rule (2) shall be given to the Presiding Officer concerned.

(4) The President shall forward to the Judge a copy of -

(a) the articles of charges against the Presiding Officer concerned and the statement of imputation;

(b) the statement of witnesses, if any; and

(c) material documents relevant to the inquiry.

(5) The Judge shall complete the inquiry within such time or further time as may be specified by the President.

(6) The Presiding Officer concerned shall be given a reasonable opportunity of presenting a written statement of defence within such time as may be specified in this behalf by the Judge.

(7) Where it is alleged that the Presiding Officer concerned is unable to discharge the duties of his office efficiently due to any physical or mental incapacity and the allegation is denied, the Judge may arrange for the medical examination of the Presiding Officer by such Medical Board as may be appointed for the purpose by the President and the Presiding Officer concerned shall submit himself to such medical examination within the time specified in this behalf by the Judge.

(8) The Medical Board shall undertake such medical examination of the Presiding Officer as may be considered necessary and submit a report to the Judge stating therein whether the incapacity is such as to render the Presiding Officer unfit to continue in office.

(9) If the Presiding Officer refuses to undergo such medical examination as considered necessary by the Medical Board, the Board shall submit a report to the Judge stating therein the examination which the Presiding Officer has refused to undergo, and the Judge may, on receipt of such report, presume that the Presiding Officer suffers from such physical or mental incapacity as is alleged in the complaint.

(10) The Judge may, after considering the written statement of the Presiding Officer and the Medical Report, if any, amend the charges referred to in clause (a) of sub-rule (4) and in such a case, the Presiding Officer shall be given a reasonable opportunity of presenting a fresh written statement of defence.

(11) The Central Government shall appoint an officer of that Government or an advocate to present the case against the Presiding Officer.

(12) Where the Central Government has appointed an advocate to present its case before the Judge, the Presiding Officer concerned shall also be allowed to present his case by an advocate chosen by him.

5. Application of the Departmental Inquiries (Enforcement of Witness and Production of Documents) Act, 1972 to inquiries under these rules. – The provisions of the Departmental Inquiries (Enforcement of Witness and Production of Documents) Act, 1972 (18 of 1972), shall apply to the inquiries made under these rules as they apply to departmental inquiries.

6. Powers of the Judge. – The Judge shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate his own procedure including the fixing of places and times of the inquiry.

7. Suspension of Presiding Officer. - Notwithstanding anything contained in rule 4 and without prejudice to any action being taken in accordance with the said rule, the

President, keeping in view the gravity of charges may suspend the Presiding Officer against whom a complaint is under investigation or inquiry.

8. Subsistence allowance. – The payment of subsistence allowance to a Presiding Officer under suspension shall be regulated in accordance with the rules and orders for the time being applicable to an officer of the Government of India drawing an equivalent pay.

9. Inquiry Report. – After the conclusion of the investigation, the Judge shall submit his report to the President stating therein his findings and the reasons therefor on each of the articles of charges separately with such observations on the whole case as he thinks fit.

[F. No. NH-11014/9/2003-P&M]

U. S. TIWARI, Dy. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.